न्यायालय तहसीलदार जसवंततपुरा

मुकदमा नंबर 2/2016

राजस्थान सरकार ज़रिये पटवारी हल्का गोलाणा — बनाम — गैरसायल श्री तगाराम पुत्र शांतिलाल जाति प्रजापत निवासी गोलाणा

निर्णय दिनांक:27.10.2016

पत्रावली पेश हुई। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोलाणा व निरीक्षक भू.अ. जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा गोलाणा के खसरा नंबर 1318 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै.मु. पायतान में अनाधिकृतरूप से चार दिवारी कर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नें अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नही किये,जिससे यह साबित होता है कि कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृतरूप कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत संवत 2073 में मौजा गोलाणा के खसरा नंबर 1318 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै.मु. पायतान अतिक्रमी घोषित जाकर भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 0.40 का 50 गुणा रू0 20/– अक्षरे बीस रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा ,पटवारी हल्का जसवंतपुरा को भौतिकरूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार ,जसवंतपुरा

Scanned by CamScanner